

रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना

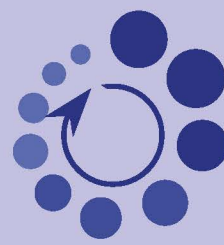
आरबीआई विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए एकल सुविधा



30 दिनों के भीतर शिकायतों का निवारण न होने या आरबीआई द्वारा विनियमित बैंक/एनबीएफसी/प्रणाली प्रतिभागियों द्वारा संतोषजनक निवारण न होने पर, आप उनकी शिकायत लोकपाल के समक्ष दर्ज कर सकते हैं



अपवर्जन सूची में उल्लिखित सेवाओं को छोड़कर, अन्य सेवाओं में कमियों से संबंधित सभी शिकायतें शामिल हैं



ऑनलाइन <https://cms.rbi.org.in> पर या डाक द्वारा केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र, भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ - 160017 पर शिकायत दर्ज करें



अपनी शिकायत की वास्तविक स्थिति को शिकायत प्रबंधन प्रणाली (<https://cms.rbi.org.in>) पर देखें



**आरबीआई कहता है...
जानकार बनिए,
सतर्क रहिए!**



अधिक जानकारी के लिए, <https://rbikehtahai.rbi.org.in/> पर जाएं
फ़ीडबैक देने के लिए, rbikehtahai@rbi.org.in को लिखें

विस्तृत जानकारी के लिए 14448 पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कॉल करें (केवल कार्यदिवसों पर, राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर)।
शिकायत करने के लिए, <https://cms.rbi.org.in> पर जाएं



जनहित में जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

भारतीय रिज़र्व बैंक

राष्ट्रव्यापी गहन वित्तीय जागरूकता अभियान

किसी के भी साथ अपनी
बैंक खाता लॉगिन आईडी,
पासवर्ड, पिन अथवा
ओटीपी साझा न करें.

अपने फोन/ डिवाइस पर
कोई भी अज्ञात एप
डाउनलोड न करें.

पुरस्कार राशि, सरकारी सहायता
और केवाईसी अद्यतन करने का
वादा करने वाले/ पेशकश करने वाले
संदेशों का कभी भी जवाब न दें.



RBI Kehta Hai!!

एटीएम में
अनजान व्यक्तियों से सहायता न लें.
पिन दर्ज करते समय
हमेशा एटीएम कीपैड को
अपने हाथ से ढ़क कर रखें.

नकदी आहरण के लिए
अपना एटीएम कार्ड
किसी को भी न दें.
कभी भी अपने कार्ड पर
पिन न लिखें.



Be(A)ware



<https://cms.rbi.org.in>